


निर्णय  
26.11.2024

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
प्रदीप कुमार बनाम श्योकरण आदि  
वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 525 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
18.11.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 25.11.2024 को पेश हो। ~	प्रदीप 
21.11.2024	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र सिविल पेथी पेथ बले पर प्रजावती को पेथी में लिग गणा कुकुलाए फरिस्टेन उपस्थित। वकील व प्रतिवादी सभ ला गने हासिल हाकालत आकर राजीनामा पेथ डिफा जिसे काद वरतीठ शाखिल फरिल डिफा गणा प्रजावती कास्टे स्टेट जजम हाईन्दा तारीख 25.11.2024 को पेथ हो। ~	राजपि र वलिप्रभ सुमिगा शि मला Sunder रामेती प. कर्ण
25.11.2024	कुकुलाए फरिस्टेन उपस्थित/PU आद आद प्रभ पेथ हा। पत्रावली कुकुलाए मास्टे जे हा उपस्थित हा पेथ हा हा	पेथ उपस्थित वलागना
26.11.2024	कुकुलाए फरिस्टेन उपस्थित स्टेट जजम आद हुका। अहब सुमी गणी प्रजावती का उपस्थित डिफा गणा प्रजावती पर उपस्थित शिवाड व वकील वकील से राजीनामा हे आधार पर वाद वकील डिफा डिफा जाहा है। पुर्व डिफा सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शाखिल फरिल डिफा जाके प्रजावती नम्बर से काम की जाकर काद वरतीठ वकील जाहा हासिल देफतर हो। ~	